समाहरणालय, मधेपुरा

(पंचायत कार्यालय)

--:आदेश:--

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या-25(आ0), दिनांक 29.10.2015 द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या-05, दिनांक 25.08.2015 के क्रम में योजना "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" के 3106-सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा इकाई के अन्तर्गत ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है, को प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 1000.00(एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से विभाग द्वारा अधिसूचित कुल 54(चौव्वन) ग्राम कचहरी के किराया भवनों के लिए प्राप्त कुल राशि 648000.00(छह लाख अड़तालीस हजार) रूपये को जिला के संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए व्यय करने हेतु निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	किराये पर लिए गये भवनों की संख्या	1000.00(एक हजार) रूपये की दर से 12 (बारह) माह का कुल राशि	अभ्युक्ति
1	घैलाढ़	3	36000	
2	सिंहेश्वर	1	12000	
3	शंकरपुर	7	84000	
4	गम्हरिया	3	36000	
5	मुरलीगंज	8	96000	
6	कुमारखंड	5	60000	
7	ग्वालपाड़ा	7	84000	
8	बिहारीगंज	4	48000	
9	पुरैनी	4	48000	
10	उदाकिशुनगंज	10	120000	
11	आलमनगर	2	24000	
	कुल योगः-	**54**	648000	

(मो0 छह लाख अड़तालीस हजार रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं 396, दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उपावंटित राशि सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा निकासी कर ग्राम कचहरी के खाते में जमा किया जायेगा एवं राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/ उपसरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच-पड़ताल के बाद हीं की जाय। यदि कोई अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर शीर्ष आदि, ईकाइयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके।

5. वित्तीय नियमावली, बजट मेनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानो तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

6. इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-एन 2515008000112 है।

ह0/-

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....558 2.../पं0, मधेपुरा, दिनांक....05./....12...../2015

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल तथा मधेपुरा के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।